<u>दिनांक : 14.08.2025</u>

वाद प्रस्तुत किया गया। पुकार कराया गया। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। वादिनी लक्ष्मी सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 27क दिनांक 18.07.2025 पर उभय पक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी लक्ष्मी सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 27क आदेश–6 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दौरान विचारण वादिनी की जानकारी में यह तथ्य आया कि प्रतिवादिनी सं0 1 ने औपचारिक प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में दान विलेख दिनांक 26.04.2024 को प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत निष्पादित किया है, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से हुई है। इससे पूर्व वादी को कथित दान विलखे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कथित दान विलेख अवैध, अमान्य, शून्य दस्तावेज है। प्रतिवादिनी सं0 1 को औपचारिक प्रतिवादिनी सं0 2 व औपचारिक प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में निष्पादित करने का

कोई अधिकार नही था। अतः वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 27क में अंकित वाछित संशोधन वादपत्र में किये जाने की याचना की गई। समर्थन में शपथपत्र राम प्रताप सिंह कागज सं0 28ग, नक्शा विवादित सम्पत्ति कागज सं0 29ग/1 व 29ग/2 दाखिल किया गया।

प्रतिवादिनीगण की ओर से मौखिक आपत्ति की गई।

प्रार्थना पत्र 27क वादिनी की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें तथाकथित दान विलेख दिनांकित 26.04.2024 के सम्बन्ध में वाद दाखिल करते समय जानकारी नहीं थी तथा प्रतिवादिनीगण की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र के आधार पर उक्त विलेख के सम्बन्ध में जानकारी हुई है व वाद के पक्षों में वांछित पारिणामिक संशोधन प्रार्थना पत्र 27क के माध्यम से समाहित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र 27क के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी के कथन शपथपत्र 28ग से समर्थित है, शपथपत्र 28ग के कथन अखण्डित हैं। वाछित संशोधन कार्यवाही के अग्रसरण हेतु आवश्यक है। तदनुरूप पारिणामिक संशोधन एवं प्रार्थना पत्र 27क में किये गये कथन वादपत्र में समाहित किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र 27क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 27क मु0 1,000/— रुपये हर्जे स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदा करने के पश्चात मूलवाद सं0 51/2024 में प्रार्थना पत्र कागज सं0 27क के अनुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह क्रियान्वित किया जाये।

पत्रावली वास्ते अतिरिक्त प्रतिवादपत्र दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।

ह0

अपर जिला जज, न्यायालय सं0—1,
आगरा